षोडश

बिहार विधान-सभा

चतुर्थ सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 07 अग्रहायण, 1938 (श0)
28 नवम्बर, 2016 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1) वित्त विभाग	01
(2) सामान्य प्रशासन विभाग	01
(3) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	01
कुल योग —	03

लाभ देना

1. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी, 2016 से अधिसूचना संख्या 1-2/2016 आई0सी0, दिनांक 25 जुलाई, 2016 द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के कर्मचारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग का लाभ अभी तक नहीं दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार के कर्मियों की भाँति राज्य के कर्मियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग का लाभ देने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य उर्दू में करना

2. श्री (डॉ0) शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक 183, दिनांक 15 फरवरी, 2016 के द्वारा बिहार सरकार के सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव, निदेशक राजभाषा तथा निदेशक राजभाषा (उर्दू) को पत्र लिखा गया है, जिसके तहत उर्दू में पत्रों एवं आवेदनों की प्राप्ति एवं उनका उर्दू में उत्तर, उर्दू में लिखित दस्तावेजों की रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा मंजूर किया जाना, सरकारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं आदि का उर्दू में प्रकाशन, सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में प्रकाशन, सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेशों एवं परिपत्रों का उर्दू में जारी किया जाना, जिला गजट के उर्दू रूपान्तरण का प्रकाशन तथा साइन बोर्डों का उर्दू में भी प्रकाशन करना है, किन्तु उक्त विभागों में कोई कार्य उर्दू में नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

आर0टी0पी0एस0 काउंटर खोलना

3. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी नगर परिषद् एवं पंचायतों निकायों की जनता को लोक सेवाओं के अधिकार कानून के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न सेवाओं यथा सामाजिक सुरक्षा योजना, कन्या विवाह योजना, पारिवारिक लाभ योजना आदि का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित प्रखंड कार्यालयों में लगे आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर आवेदन देना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के 140 नगर निकायों के कार्यालयों में अलग से RTPS काउन्टर नहीं है जिससे शहरी जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित सेवाओं हेतु राज्य के सभी 140 नगर निकायों के कार्यालयों में आर0टी0पी0एस0 काउन्टर खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना ●
दिनांक 28 नवम्बर, 2016 (ई0) ।

रामश्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 55-डी0टी0पी0-500